Speed Post

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003.

File No. TRS/5/2014/MCVLI/SEHRMT/RU-III **Date: 17.12.2019**

To,

The Chairman-cum- Managing Director,
Air India,
Airlines House ,113,
Gurudwara Rakabganj Road,
New Delhi-110001

Sub: **Minutes of Meeting taken by Hon'ble Chairperson, National Commission for Scheduled Tribes, (NCST) on.21.11.2019 in the matter of Representation dated 25.07.2016 Sh. Tilak Ram Sharma, flat no. 224, pocket-23 Sec-24, Rohini, Delhi regarding promotion**

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceedings of the Sitting taken Shri Nand Kumar Sai, Hon'ble Chairperson of National Commission for Scheduled Tribes (NCST) **on 19.11.2019 at 03.00 p.m.** for information and necessary action.

It is, requested that action taken report in this regard may please be sent to the Commission within period of 21 days.

Encl: As above

Yours faithfully,

17/12/19

(Dr. Lalit Latta)
Director

Copy to:

1. Sh. Tilak Ram Sharma,Flat no. 224, Pocket 23 Sec-24, Rohini, Delhi-110085.
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. SAS, NIC, NCST upload on the web site.

भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- TRS/5/2014/MCVL/SEHRMT/RU-III)

श्री तिलक राम शर्मा, रोहिणी, दिल्ली की एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए चार वेतन वृद्धियां घटाए जाने तथा पदोन्नति न देने के विषय में की गई शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक का कार्यवृत।

बैठक की तिथि : 19.11.2019

बैठक में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

---

1. श्री तिलक राम शर्मा, रोहिणी, दिल्ली ने एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए चार वेतन वृद्धियां घटाए जाने तथा पदोन्नति न दिए जाने के विषय में अभ्यावेदन दिया था।
2. प्रकरण में आयोग की पिछली बैठक में की गई अनुशंसा निम्नलिखित है-
   - एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा श्री तिलक राम शर्मा को अधिकारी वाणिज्य के पद पर 2010 से 2015 सहायक प्रबंधक वाणिज्य के पद पर पदोन्नति प्रदान किया जाना चाहिए।
3. माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दिनांक 19.11.2019 को बैठक आहूत की गई जिसमें एअर इंडिया की ओर से सुश्री मीनाक्षी कश्यप, जीएम-आईआर, श्री विकास गुप्ता, एस.आर.एजीएम तथा नागर विमानन मंत्रालय की ओर से श्री प्रांजोल चंद्रा उपस्थित हुए।
4. आयोग द्वारा पहले अभ्यावेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया, अभ्यावेदक ने बताया कि विभाग द्वारा उन्हें वर्ष 2010 से 2015 तक सहायक प्रबंधक के रूप में पदोन्नति मिलनी थी लेकिन अब तक नहीं मिली है। वर्ष 1998 में उन पर विभागीय कार्रवाई हुई थी। वर्ष 2016 में 4 वेतन वृद्धियां दी गई लेकिन वर्ष 2017 में उस वेतन वृद्धि को पुनः रोक दिया गया। आयोग को इस संबंध में एअर इंडिया द्वारा पत्र लिखकर बताया गया था कि इस मामले में सभी लाभ दिए जा चुके हैं। मेरे बाद दो मामलों में कार्रवाई हुई, पहला श्री राजहंस गोयल पर जिनकी 8 वेतनवृद्धियों को कम कर दिया गया था और एक वर्ष में ही सभी वेतनवृद्धियों को वापस कर दिया गया। दूसरे मामले में श्री जसप्रीत सिंह को वर्ष 2001 में ट्रैफिक सहायक के पद पर लाया गया और दो साल बाद पदोन्नति दी गई और अधिकारी संवर्ग में शामिल किया गया जबकि मुझे

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India

2015 में पदोन्नति दी गई। इस प्रकार मेरे साथ एअर इंडिया द्वारा अलग व्यवहार किया गया।

5. एअर इंडिया के अधिकारी ने बताया कि श्री तिलक राम शर्मा को सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में नोटिस जारी हुआ था जिसे बाद में विभागीय सुनवाई के बाद वेतनवृद्धि में कटौती की सजा के रूप में बदला गया। इनके द्वारा वर्ष 2017 में वेतनवृद्धियों को वापस लेने की जो बात कही जा रही है वह दो कंपनियों के विलय के बाद वेतन संशोधन हुआ है। इनके मामले की मुख्य प्रबंध निदेशक कार्यालय द्वारा दो बार समीक्षा की जा चुकी है। जो अन्य दो नाम इनके द्वारा बताए जा रहे हैं उस संबंध में दस्तावेज प्रस्तुत करें तो विभाग द्वारा उसका परीक्षण किया जाएगा।
6. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात आयोग ने निम्नलिखित अनुशंसा की -
    - एअर इंडिया को इस मामले की पुनः जांच 21 दिन के अंदर आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर अन्य मामलों में प्रबंधन द्वारा ऊपर उल्लिखित कर्मियों पर की गई कार्रवाई को वापस लिया गया है तो इस मामले में भी समानता होने पर उसी प्रकार की कार्रवाई की जानी चाहिए।

कार्यवृत्त प्राप्त होने के पश्चात की गई कार्रवाई से 21 दिन के अंदर आयोग को अवगत कराया जाए ।

12.12.019

डॉ. नन्द कुमार साय/DR. Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

परिशिष्ट

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(F. No.- TRS/5/2014/MCVL/SEHRMT/RU-III)

श्री तिलक राम शर्मा, रोहिणी, दिल्ली की एअर इंडिया प्रबंधन द्वारा अभ्यावेदक पर विभागीय कार्रवाई करते हुए चार वेतन वृद्धियां घटाए जाने तथा पदोन्नति न देने के विषय में की गई शिकायत पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय डॉ. नंद कुमार साय की अध्यक्षता में दिनांक 19.11.2019 को आयोग में आयोजित बैठक में उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची :-

- **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग**

(1.)	डॉ. नंद कुमार साय,	माननीय अध्यक्ष महोदय
(2.)	श्री हरिकृष्ण डामोर,	माननीय सदस्य
(3.)	श्री ए. के. सिंह,	सचिव
(4.)	श्री के. तऊथांग,	संयुक्त सचिव
(5.)	डॉ ललित लट्टा,	निदेशक
(6.)	श्री आर. के. दुबे,	स. निदेशक
(7.)	श्री आलोक कुमार द्विवेदी,	परामर्शक

- **एअर इंडिया के अधिकारी**

(1.)	सुश्री मिनाक्षी कश्यप,	जीएम-आई आर
(2.)	श्री विकास गुप्ता,	एसआर. एजीएम

- **नागर विमानन के अधिकारी**

(1.)	श्री प्रांजोल चंद्रा,	निदेशक

- **अभ्यावेदक**

(1.) श्री तिलक राम शर्मा